प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.06.2025

साइबर सेल, थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 54,900/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई ।

दिनांक 30.05.2025 को साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम को वादी रामविलास निवासी सैक्टर-4 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड के अन्तर्गत ऑनलाइन पेटीएम रिचार्ज के माध्यम से ठगी के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई । उक्त सम्बन्ध में साइबर सेल थाना कौशाम्बी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी की ऑनलाइन पेटीएम रिचार्ज के जरिए ठगी गई कुल धनराशि 54,900/- रूपये को वापस कराया गया है।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से रामविलास निवासी सैक्टर-4 वैशाली थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ 54,900/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 11.06.2025 को वादी के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

स्टंट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

दिनांक 10-06-2025 को यातायात पुलिस को ई-मेल के माध्यम से 01 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 01 मोटरसाइकिल पर कुल 05 लड़के सवार होकर मेरठ रोड पर स्टंट करते हुए प्रदर्शित हो रहे हैं, जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल रहे थे। उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए फोटो में उपलब्ध वाहन नंबर की पहचान कर थाना प्रभारी नंदग्राम को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करते हुए वाहन को मोटरवाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत निरुद्ध (सीज) कराया गया तथा 03 लड़कों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के अंतर्गत चालानी कार्यवाही करायी गयी। प्रकरण में 02 बच्चों की आयु कम होने के फलस्वरूप उनके परिजनों को थाना नंदग्राम पर बुलाकर भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गयी।

यातायात पुलिस सभी आमजनों/वाहन चालकों से अनुरोध करती है, कि सदैव यातायात नियमों का पालन करें एवं वाहनों से कदापि स्टंट न करें, अन्यथा की स्थिति में यातायात पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार के किसी भी उल्लंघन की सूचना वीडियो के साथ यातायात पुलिस कण्ट्रोल रूम नंबर 9643322904 पर भेज सकते हैं।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

साइबर सेल, थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 86,391/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 26.05.2025 को साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा वादी आम्रपाली शर्मा सेक्टर 13 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड के अन्तर्गत वादिया के पति को डराकर व बहलाकर ऑनलाइन पेमेंन्ट कराकर ठगी के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। उक्त सम्बन्ध में साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए। वादिया के पति को डराकर व बहलाकर ऑनलाइन पेमेंन्ट कराकर ठगी की गई कुल धनराशि 86,391/- रूपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आम्रपाली शर्मा सेक्टर 13 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद के पति के साथ 86,391/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वादिया के पति के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 11.06.2025 को वादिया के पति के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 10 शातिर अपराधियो की हिस्ट्रीशीट खोली गयी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे0 रविंदर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 10 शातिर लूट, धोखाधडी व चोरी/नकबजनी आदि से संबंधित अभ्यस्त अपराधी जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों पर 59 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, उनकी सतत निगरानी हेतु उनकी हिस्ट्रीशीट खोली गयी जिनका विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	अपराधी का नाम	थाना	पंजीकृत अभियोगो की संख्या

1	भारत भूषण उर्फ भोला पुत्र हेमराज निवासी म0न0 40 गणेश पुर चौक नसरतपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद। उम्र 26 वर्ष	कोतवाली	5
2	शहनवाज उर्फ नोनू पुत्र लियाकत निवासी म0नं0 64 द्वारिकापुरी जस्सीपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष।	कोतवाली	17
3	मासूम अली पुत्र बाबू निवासी बी 43 गली नं0 04 सजवान नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।	कोतवाली	5
4	हासिम त्यागी पुत्र हारूम त्यागी निवासी बी 42 गली नं0 सजवान नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष।	विजयनगर	4
5	इजरार उर्फ बबलू चौधरी पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी म0 नं0 786 मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष।	विजयनगर	5
6	रियाज अहमद उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र असफाक निवासी मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 55 वर्ष।	विजयनगर	4
7	नीरज शर्मा पुत्र परमानन्द शर्मा निवासी ए- 266 सै0 11 प्रताप विहार विजयनगर गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष।	विजयनगर	4
8	जितेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर निवासी कुआं वाली गली ननकी चौक सै0 09 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष।	विजयनगर	8
9	अंकुर पुत्र नन्दकिशोर निवासी डी- 220 महेन्द्रा एन्क्लेव शात्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।	कविनगर	3
10	मोनू जाटव उर्फ बौना पुत्र स्व0 पप्पू निवासी म0नं0 327 ग्राम हरसांव थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।	कविनगर	4

स्वाट टीम ग्रामीण जोन/थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना कारित करने वाला 01 लूटेरा घायल अवस्था में गिरफ्तार व 01 मौके से भागने में कामयाब जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा , 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, एवं लूटी हुई ज्वैलरी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए की, 9,14000/- रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अपाचे मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 11.06.2025 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु काशीराम आवास योजना की तरफ जाने वाले कट मोदीनगर निवाड़ी रोड पर सघन चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान मोदीनगर की ओर से आ रही 01 मोटरसाइकिल पर सवार 02 युवकों को रुकने का इशारा किया गया परन्तु दोनों मोटरसाइकिल सवार युवक नही रुके तथा मोटरसाइकिल को तेजी से काशीराम आवासीय योजना फ्लैट्स की ओर जाने वाले रास्ते की ओर भागने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी। जिन्हें शक होने पर पुलिस टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो उनमें से एक युवक द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किया गया। जिसमें गोली चलाने वाले अभियुक्त के पैर मे गोली लगी जिससे एक अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया तथा दूसरा युवक मौके से भागने में कामयाब रहा जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा मौके से एक अभियुक्त शान मोहम्मद उर्फ सोनू पुत्र बाबू निवासी वार्ड नंबर 8 सिवाल खास थाना जानी मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष गिरफ्तार किया गया।

जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस एवं दिनांक 26/27.05.25 को सारा रोड पर वैशाली एडवरटाइजर्स pvt कंपनी से लूटी हुई पीली व सफेद धातु की लगभग 15 लाख रुपए की कीमत की ज्वैलरी व 9 लाख 14 हजार रुपए बरामद व लूट की घटना में प्रयुक्त 01 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त मकान व अन्य व्यावसायिक बिल्डिंगों में टाइल पत्थर लगाने का कार्य करता हैं जिसने वैशाली एडवरटाइजर्स pvt कंपनी सारा रोड पर टाइल पत्थर लगाने का ठेका ले रखा है। फैक्ट्री में लूट करने की नीयत से अपने साथी के साथ घटना से करीब 20/25 दिन पहले से रेकी करके दिनांक 26/27.05.25 की रात्रि में कंपनी में लूट की घटना को अंजाम दिया और लूटे हुए रुपयों को बैंक में जमा कर दिया और आज बैंक से रूपये निकालकर व रखी हुई ज्वैलरी को आपस में बांटने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.शान मोहम्मद उर्फ सोनू पुत्र बाबू निवासी वार्ड नंबर 8 ग्राम सिवाल खास थाना जानी उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, व लूटी हुई लगभग 15 लाख कीमत की ज्वैलरी व 9 लाख 14 हजार रुपए नगद बरामद हुई घटना में प्रयुक्त 01 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त केआपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन/थाना निवाड़ी पुलिस टीम।